

- 20) यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।  
विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की निर्धारित प्रशिक्षण/योग्यताएं तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम को समस्त मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिए जाय।

संलग्नक : मान्यता हेतु अन्य शर्तें  
(जिनका अनुपालन किया जाना है)

भवदीय

मुख्य शिक्षा अधिकारी,  
पिथौरागढ़

पृ0सं0 /

/ 2019-20, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, पिथौरागढ़।
02. जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ़।
03. खण्ड शिक्षा अधिकारी, डीडीहाट (पिथौरागढ़)।

मुख्य शिक्षा अधिकारी,  
पिथौरागढ़।

सचिव  
मल्लिकार्जुन विद्यापीठ  
धल (पिथौरागढ़) (पत्राचारण्ड)

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रधानाचार्य  
मल्लिकार्जुन विद्या पीठ जूनियर हाईस्कूल, थल,  
विकास खण्ड डीडीहाट,  
जनपद पिथौरागढ़।

विषय: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ  
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 17 के  
उप नियम (6) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का औपबन्धिक प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन-पत्र तथा उसके क्रम में खण्ड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति एवं  
जनपदीय मान्यता समिति के अनुमोदनोपरान्त आपके विद्यालय मल्लिकार्जुन विद्या पीठ जूनियर  
हाईस्कूल, थल, विकास खण्ड डीडीहाट, पिथौरागढ़ को प्री-प्राइमरी से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी  
माध्यम) संचालन हेतु मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए औपबन्धिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन में अधीन होगी-

- 01) मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा-8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
- 02) विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम-2009 तथा उत्तराखण्ड राज्य  
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 एवं उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या  
623/XXIV/(1)/2013-R-467/2011 (बेसिक) अनुभाग-1, देहरादून, दिनांक 27 जून, 2013 का  
अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
- 03) विद्यालय अपनी कक्षा-1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का  
नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें  
निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि  
विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का  
अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
- 04) उपरोक्त क्रम संख्या-3 पर वर्णित बच्चों के मामले में आपके विद्यालय को बच्चों की मुफ्त  
एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा-12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की  
प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से  
बैंक खाता का संचालित करेगा।
- 05) संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान/ कैंपिटेसन शुल्क प्राप्त  
नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता-पिता/अभिभावक  
का साक्षात्कार नहीं किया जाएगा।
- 06) विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित  
अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी  
एक कारण के आधार पर इनकार नहीं कर सकेगा।
- 07) विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे:
  - (i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न  
ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया  
जाएगा।
  - (ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा  
मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
  - (iii) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा  
पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  - (iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उपनियम (1) के  
आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
  - (v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का  
समावेशन किया जाएगा।

सचिव  
मल्लिकार्जुन विद्यापीठ  
थल (पिथौरागढ़) (उत्तराखण्ड)



(vi) शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।

(vii) शिक्षक, अधिनियम के धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे; और

(viii) शिक्षक, निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि (ट्यूशन) में संलग्न नहीं होंगे।

- 08) विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।  
09) विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।  
10) विद्यालय अधिनियम के धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत होगा -

- विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल;
- कुल निर्मित क्षेत्र;
- खेल के मैदान का क्षेत्र;
- कक्षा-कक्षों की कुल संख्या;
- प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष;
- बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय;
- पेयजल की सुविधा;
- मध्याह्न भोजन के लिए रसोई-घर;
- बाधारहित पहुँच;

• शिक्षण अविगम सामग्री / खेल-कूद उपकरण / पुस्तकालय की उपलब्धता;

- 11) इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं होगा।  
12) विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जायेगा। इस भवन/संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यवसायिक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।  
13) विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।  
14) विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।  
15) लेखा का अंकेक्षा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।  
16) आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या PTH/DID/RTE2009/2017/296 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।  
17) राज्य सरकार/ निदेशक, विद्यालयी शिक्षा/ मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय-समय पर माँगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चित हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।  
18) यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।  
19) परिशिष्ट-चार के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।

सचिव  
मल्लिकार्जुन विद्यापीठ  
थल (पिथौरागढ़) (उत्तराखण्ड)